UPBS040057832026

न्यायालय **JM-FTC (Crime Againest Women), Basti**

पीठासीन अधिकारी- (PIYUSH KUMAR) - उ०प्र० न्यायिक सेवा - **UP04690**

परिवाद सं - Criminal Misc. Cases/1146/2026

Khushi Giri Vs. Sarjun Giri

थाना– दुबौलिया, जिला– बस्ती।

दिनांक 24–06–2026

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० पर सुना गया। थाने की आख्या के अनुसार प्रकरण में अभियोग पंजीकृत नहीं है।

आवेदिका की ओर से विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि "प्रार्थिनी खुशी गिरि पुत्री वीर सिंह गिरि साकिन–सरैया बक्सी, थाना–दुबौलिया, जिला–बस्ती की निवासिनी हूँ। घटना दिनांक 14.04.2026 को सुबह 7.00 बजे की है। मेरे पिता जी बसिलसिले मजदूरी बाहर रहते है तथा मेरी माँ खेत में काम करने के लिए गयी थी मेरे चाचा सरजुन गिरी पुत्र पारसनाथ अकेला देखकर मुझे पकड़कर अपमानित करने लगे तथा कपड़ा खीचने लगे मै चिल्लाई तो वह भाग गये मेरी मॉ जब घर आयी तो मैने सारी बात उनसे बताई तो वह सरजुन गिरी से पूछताछ करने लगे तब सरजुन गिरी नाराज होकर मुझे और मेरी माँ को थप्पड़ से मारा आवारा बदमाश की गालियाँ दिये एवम् जानमाल की धमकी दिये। मैं उसी दिन थाना दुबौलिया में गयी थाना दुबौलिया की पुलिस सरजुन को पकड़कर थाने पर लायी फिर बाद में छोड़ दिया और मेरा रिपोर्ट नही लिखे। तब यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी को दे रही हूँ। प्रार्थिनी ने थाना मुकामी व श्रीमान् पुलिस अधीक्षक बस्ती को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।"

प्रार्थिनी की ओर से अपने कथन के समर्थन में स्वयं का शपथ–पत्र, पुलिस अधीक्षक बस्ती को दिये गये प्रार्थना–पत्र की प्रति, प्रार्थिनी के जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं कार्यालय पुलिस अधीक्षक बस्ती पावती रसीद एवं आधार कार्ड की छायाप्रति आदि प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं आवेदक के प्रार्थना–पत्र का सम्यक अवलोकन किया। प्रार्थिनी का प्रार्थना–पत्र शपथ–पत्र से समर्थित है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक प्रकृति का प्रतीत होता है। प्रथम दृष्टया मामले के घटनास्थल आदि से भी प्रार्थिनी रूबरू है। प्रार्थिनी द्वारा उपरोक्त अभियुक्त चाचा पर अकेले देखकर अपमानित करने के इरादे से कपड़ा खिचकर छेड़खानी करने व मारने–पीटने के साथ गाली–गुप्ता देने का कथन किया गया है। परिवाद नामजद है, परिवादिनी सभी अभियुक्त को पहले से जानती है। विवेचना कराये जाने से किसी नये तथ्य के प्रकाश में आने की सम्भावना नहीं है। प्रार्थिनी अपना पक्ष स्वयं से रख सकती है। अतः मामले के उपरोक्त आवेदन

के तथ्यों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि व्यवस्था **सुखवासी बनाम उ0प्र0 राज्य 2007(59) एस0सी0सी0 739 इलाहाबाद उच्च न्यायालय** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173 (4) B.N.S.S. परिवाद के रूप में दर्ज कर न्यायालय द्वारा स्वयं जांच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223(1) बी०एन०एस०एस० दिनांक 22–07–2026 को पेश हो।

दिनांकः 24–06–2026

(पीयूष कुमार)
न्यायिक दण्डाधिकारी/त्वरित गति न्यायालय
(महिलाओं के विरूद्ध अपराध), बस्ती।